हुक्म या कार्यवाही ...

तारीख हुक्म	
14/03/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वृद्ध व बीमार होने से उसका पुत्र बाबुलाल उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित भूमि ग्राम दांतीवाडा के खाता सं. 105 एवं खाता सं. 159 में दर्ज अपने जाति नाम सीरवी को त्रुटिपूर्ण बताते हुये सही जाति नाम जणवा चौधरी दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। इसके समर्थन मे बतौर अभिलेखीय साक्ष्य खाता सं. 159 में उल्लेखित खसरा नंबरान 211, 212, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 278 की भूमि खरीद की रजिस्ट्री नकल पेश की है जिससे खाता सं. 159 की भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम की जाति रजिस्ट्री अनुसार जणवा चौधरी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु खाता सं. 105 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य पेश नहीं किया है एवं साथ ही हितबद्ध पक्षकार वर्णित भूमि के सहखातेदार गजाराम पुत्र पेमाराम जाति सीरवी हिस्सा 1/5 एवं टीपू पत्नी केसाराम जाति जणवा चौधरी साकिन बाली हिस्सा 3/5 का कोई सहमति पत्र ही पेश किया गया है। जो यह प्रमाणित करे कि प्रार्थी लालाराम यही व्यक्ति है तथा इसकी जाति सीरवी नहीं होकर जणवा चौधरी है जिससे खाता सं. 105 में वर्णित भूमि के संबंध में प्रार्थी द्वारा जाति नाम संशोधन का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। खाता सं. 159 में उल्लेखित भूमि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नं. 211, 212, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 278 कुल खसरा 09 कुल रकबा 14.44 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज प्रार्थी लालाराम पुत्र पेमा जाति सीरवी की जगह दुरस्ती के माध्यम से सही जाति नाम जणवा चौधरी अंकन के आदेश दिये जाते हैं आदेशानुसार TDR बाली व पटवारी हल्का भीटवाडा ग्राम दांतीवाडा के खाता सं. 159 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का जाति नाम जणवा-चौधरी दर्ज करते हुये पालना सुनिश्चित करें। आदेश प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवाई जावें। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	SDO